


कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर म0प्र0

पृष्ठांकन क.७०७ /दो-११-५/१७

सागर दिनांक २९ /०२/२०२४

प्रतिलिपि :-

- 1— प्रभारी अधिकारी, कार्यालय / नजारत अनुभाग सागर / बीना
- 2— श्री आशीष कुमार शुक्ला जिला न्यायाधीश खुरई ।
- 3— सुश्री आरती आर्य व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड खुरई ।
- 4— श्री अंकित श्रीवास्तव व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सागर ।
- 5— सुश्री दीक्षा अग्रवाल व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सागर ।
- 6— सुश्री सुरभि सुमन व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सागर ।
- 7— सुश्री प्रीति ठाकुर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सागर ।
- 8— सुश्री निकिता चौहान क्लवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड देवरी ।
- 9— सुश्री प्राची कौरव व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड देवरी ।
- 10— श्रीमती प्रिया गुप्ता व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बंडा ।
- 11— सुश्री ज्योत्सना तोमर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बंडा ।
- 12— श्री पुजित कमल प्रशिक्षु न्यायाधीश वर्ग-२ सागर ।
- 13— प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायाधीश, सागर ।
- 14— कम्प्युटर अनुभाग, सागर की ओर ई-माध्यम से सर्वसंबंधित को सूचनार्थ प्रेषित करने हेतु ।
- 15— लेखापाल / वेतन लिपिक / प्रेषक लिपिक कार्यालय अनुभाग, जिला न्यायालय सागर ।
- 16— श्री विकास जैन, सहायक ग्रेड-०३ कार्यालय अनुभाग सागर की ओर आदेश को एच.आर.एम.एस.सॉफ्टवेयर में अपडेट करने हेतु प्रेषित ।
- 17— संबंधित कर्मचारी.....
की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नवीन पदस्थापना पर एक सप्ताह के अंदर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण कर सूचना कार्यालय की ओर प्रेषित करें ।


(प्रदीप सोनी)
प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर म0प्र0

// आदेश //

क्रमांक २६१ / दो-११-५/१७

सागर दिनांक २९/०२/२०२४

प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के रथानातिरण पदस्थापना निम्नानुसार की जाती है—

क्र.	कर्मचारी का नाम	कहां से	कहां को	किसके स्थान पर
1	श्रीमती विनिता दुबे राहा। ग्रेड-०३	आरांजित जिला न्यायाधीश खुरई (श्री आशीष कुमार शुक्ला)	प्ररतुतकार व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड खुरई (सुश्री आरती आर्य)	श्री मुकेश मानव विदुआ के स्थान पर
2	श्री मुकेश मानव विदुआ राहा०ग्रेड ०३	प्ररतुतकार व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड खुरई (सुश्री आरती आर्य)	प्ररतुतकार व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सागर (श्री अंकित श्रीवारतव)	रिक्त स्थान पर
3	श्री रवीन्द्र साहू राहा०ग्रेड-०३	आसंजित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सागर (सुश्री दीक्षा अग्रवाल)	साक्ष्य लेखक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सागर (श्री अंकित श्रीवारतव)	रिक्त स्थान पर
4	श्री अखिलेश रिंग ठाकुर राहा० ग्रेड ०३	आरांजित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सागर (सुश्री सुरभि सुगना)	प्रवर्णन लिपिक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सागर (श्री अंकित श्रीवारतव)	रिक्त स्थान पर
5	श्रीमती रोशनी रवर्णकार रटेनोग्राफर	रटेनोग्राफर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रागर (सुश्री प्रीति ठाकुर)	रटेनोग्राफर व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रागर (श्री अंकित श्रीवारतव)	रिक्त स्थान पर
6	श्री रुमील कुमार कोष्ठी राहा० ग्रेड ०२	आसंजित अग्निलेखागार अनुभाग देवरी	प्ररतुतकार व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड देवरी (सुश्री निकिता वौहान)	रिक्त स्थान पर
7	श्री नितिन कुगार अग्निलेखीत्री राहा०ग्रेड ०३	आरांजित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड देवरी (सुश्री प्राची कौरव)	साक्ष्य लेखक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड देवरी (सुश्री निकिता वौहान)	रिक्त स्थान पर
8	श्री अवधेश तिवारी राहा०ग्रेड ०३	आरांजित लिपिक अग्निलेखागार अनुभाग रागर	साक्ष्य लेखक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बंडा(श्रीमती प्रिया गुप्ता)	रिक्त स्थान पर
9	श्री हेमंत गिश्रा ग्रेड ०२	आरांजित अग्निलेखागार अनुभाग रागर	प्ररतुतकार व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बंडा(श्रीमती प्रिया गुप्ता)	रिक्त स्थान पर
10	श्रीमती पिंकी जौन रटेनोग्राफर	आरांजित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बंडा(सुश्री उयोत्राना)	रटेनोग्राफर व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बंडा(श्रीमती प्रिया गुप्ता)	रिक्त स्थान पर

		तोमर)		
11	श्री महगुद खान राहा०ग्रेड 03	आसंजित अभिलेखागार सागर	प्रवर्तन लिपिक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बंडा(श्रीमती प्रिया गुप्ता)	रिक्त स्थान पर
12	श्रीमती पूजा गुप्ता राहा०ग्रेड 03	निष्पादन लिपिक/प्रस्तुतकार प्रशिक्षु न्यायाधीश वर्ग 2 सागर (श्री पुजित कमल)	साक्ष लेखक प्रशिक्षु न्यायाधीश वर्ग 2 सागर (श्री पुजित कमल)	श्री ब्रजभूषण वौबे के स्थान पर
13	श्री ब्रजभूषण वौबे राहा०ग्रेड 03	साक्ष लेखक प्रशिक्षु न्यायाधीश वर्ग 2 सागर (श्री पुजित कमल)	निष्पादन लिपिक/प्रस्तुतकार प्रशिक्षु न्यायाधीश वर्ग 2 सागर (श्री पुजित कमल)	श्रीमती पूजा गुप्ता के स्थान पर

नोट:- स्थानांतरित कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि आदेश दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, आदेश का पालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित कर्मचारीगण के विरुद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।


(प्रदीप सैनी)
 प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 सागर